

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना



पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 361/2018

दायर दिनांक 13.11.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. भैवराराम पुत्र उगमाराम, उम्र-52साल, जाति-नायक, निवासी-डाबडा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. शिमली पत्नी भैवराराम, उम्र-47साल, 2. हणमानाराम पुत्र बजरंग, उम्र-30साल, 3. श्रवणी पत्नी हणमानाराम, उम्र-28साल, समस्त, जाति-नायक, निवासी-डाबडा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 4. शंकरलाल पुत्र मोहनराम, जाति-बावरी निवासी-डाबडा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 5. तेजाराम पुत्र धनाराम, 6. दुर्गाराम पुत्र धनाराम, 7. नारूराम पुत्र धनाराम, 8. गुलाबदेवी पत्नी धनाराम, 9. जमनादेवी पुत्री धनाराम, 10. सुप्यारदेवी पुत्री धनाराम, 11. आनन्दीदेवी पुत्री धनाराम, 12. सुखीदेवी पुत्री धनाराम, समस्त, जाति-बावरी, निवासी-डाबडा, निवासी-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 13. मूलाराम उर्फ झूताराम, जाति-मेघवाल, निवासी-खाखोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 14. भैवराराम पुत्र राजूराम, जाति-मेघवाल, निवासी-पावटा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 15. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 361/2018
दायर दिनांक 13.11.2018, निर्णय दिनांक 21.12.2018
भैवरासम बनाम शिमली, वगैरा।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से।

--: निर्णय :-

दिनांक 21.12.2018


वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद डाबड़ा में खसरा नम्बर 725 रकबा 03.97 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि के कुल रकबे में से हिस्सा 03/16 भाग बराबर-बराबर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 ने जरिये बैचाण के प्रतिवादी संख्या 04 शंकरलाल से खरीद किया हुआ है। रजिस्टर्ड बैचाण की छायाप्रति पेश है।

राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 03 का नाम दर्ज नहीं है क्योंकि राजस्व कर्मचारीगण चुनाव कार्य में व्यस्त थे जिस कारण से उक्त नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सका। उक्त विक्रय के बाद से वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। मगर हिस्सेनुसार खातेदारी घोषित न होने से दावा बाबत घोषणा खातेदारी का पेश है।

दिनांक 22.10.2018 को प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त खरीदसुदा भूमि से बेदखल करने की एलानियाँ धमकी देने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो लगातार हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद डाबड़ा में खसरा नम्बर 725 रकबा 03.97 हैक्टेयर का वाद संलग्न नजरीनक्शा अनुसार हिस्सा 03/16 भाग का वादी को व


सहायक कलेक्टर
डोडवाना (नागौर)

सहायक-सद, संख्या ७६/२०१६
 सदन दिनांक १३.११.२०१६, विषय दिनांक २३.१३.२०१६
 भौतिकीय कक्षा, दिल्ली, भारत।

संख्या दिनांक ०३/१६ भाग का प्रतिवादी संख्या ०१ व दिनांक ०३/१६ भाग का प्रतिवादी संख्या ०२ व दिनांक ०३/१६ भाग का प्रतिवादी संख्या ०३ सातोंपर शोधित किया जाये।

सातोंपर सरकारों का नाम उल्लेख संदर्भ दिनांक में से हटाया जाये। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीयों के विरुद्ध शक्ति प्रयोग जारी की जाये।

वादी का सदन सदन संविदा दिया गया। प्रतिवादीयों संख्या ०१ ता १६ को जरिफे समन लम्ब किया गया। प्रतिवादी संख्या ०२ ता १६ के बावजूद ताबिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी व प्रतिवादीयों संख्या ०१ ता १६ में राजीनामा देना किया। राजीनामा की शर्तों पर सरकारों को बहस सुनाने व लम्बाने गयी। विधि बिना किसी उद्देश्य या लालच के सभी लोगों सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान फकीर की मोहम्मद शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादीयों की पहचान फकीर की मोहम्मद शरीफ ने की। लम्ब बख्वाहिया राजीनामा लम्बोक्त किया गया। राजीनामा मुताबिक परकारान् अनुप्राण वादीनुसार दावा डिफ्री किये जाने में सहमत हैं।

वाद के समर्थन में वादी ने सहायक-सद, जवाबदारी शान लम्बड़ा सन्वत् २०१३ खैरत संख्या ३२१ खसरा नम्बर ७२६ की सत्य प्रतिनिधि, नजरीनन्दा, मेरा की है।

विद्वान वकुलाय उन्मयस की सारगर्भित बहस सुनी गयी। परकारान् जरिफे वकुलाय मुताबिक राजीनामा दावा डिफ्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

2-2
 सहायक कलेक्टर
 शीबाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 361/2018
 दायर दिनांक 13.11.2018, निर्णय दिनांक 21.12.2018
 भँवराराम बनाम शिमली, वगैरा।


वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक सहमत हैं व इसी अनुरूप दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। इसलिए राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।


आदेश

हस्य दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, सरहद डाबड़ा में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 725 रकबा 03.97 हैक्टेयर भूमि का बन्तवारा "वाईमीट्स एण्ड वाउण्ड्स" के कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक हिस्सा 03/16 भाग का वादी को व हिस्सा 03/16 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को व हिस्सा 03/16 भाग का प्रतिवादी संख्या 02 को तथा हिस्सा 03/16 भाग का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार से एक-दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अमिन्न भाग रहेगा।


 (उत्तमसिंह शेखावत)
 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।


 (उत्तमसिंह शेखावत)
 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)
 डीडवाना

डिक्री वमुकददमें इब्दादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
वइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 361/2018

दायर दिनांक 13.11.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. भँवराराम पुत्र उगमाराम, उम्र-52साल, जाति-नायक, निवासी-डाबड़ा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. शिमली पत्नी भँवराराम, उम्र-47साल, 2. हणमानाराम पुत्र बजरंग, उम्र-30साल, 3. श्रवणी पत्नी हणमानाराम, उम्र-28साल, समस्त, जाति-नायक, निवासी-डाबड़ा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 4. शंकरलाल पुत्र मोहनराम, जाति- बावरी निवासी-डाबड़ा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 5. तेजाराम पुत्र धनाराम, 6. दुर्गाराम पुत्र धनाराम, 7. नारूराम पुत्र धनाराम, 8. गुलाबदेवी पत्नी धनाराम, 9. जमनादेवी पुत्री धनाराम, 10. सुप्यारदेवी पुत्री धनाराम, 11. आनन्दीदेवी पुत्री धनाराम, 12. सुखीदेवी पुत्री धनाराम, समस्त, जाति-बावरी, निवासी-डाबड़ा, निवासी-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 13. मूलाराम उर्फ झूताराम, जाति-मेघवाल, निवासी-खाखोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 14. भँवराराम पुत्र राजूराम, जाति-मेघवाल, निवासी-पावटा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 15. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

2 → 2
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनांक 21.12.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हसब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, सरहद डाबड़ा में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 725 रकबा 03.97 हैक्टेयर भूमि का बन्टवारा "वाईमीट्स एण्ड वाउण्ड्स" के कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक हिस्सा 03/16 भाग का वादी को व हिस्सा 03/16 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को व हिस्सा 03/16 भाग का प्रतिवादी संख्या 02 को तथा हिस्सा 03/16 भाग का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार से एक-दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-.....
 आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के
 आज की तारीख 21.12.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डोडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	-		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	-		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डोडवाना (नागौर)
डीडवाना